



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड लो.नि.वि. गैरसैण



Office of The Executive Engineer, Construction Division, P.W.D Gairsain

Phone N0/ Fax No: 01363-278533

Mail: eecdgairsain@rediffmail.com

पत्रांक 565 / 12/2026

दिनांक 14/05/2026

सेवा में,

उप वन संरक्षक,
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग,
गोपेश्वर।

विषय-

जनपद चमोली के अन्तर्गत ब्लाक गैरसैण में कलियाणा ग्वाड़ बैण्ड से डिग्री कालेज फरकण्डे तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.015 हे० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ:-

भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून का पत्र संख्या 08 बी०/यू०सी०पी०/०६/२०४/२०१६/एफ०सी०/१०१३, दिनांक 15.09.2017।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्रों के क्रम में अवगत कराना है, इस खण्ड के पत्र संख्या 1244/1एल०ए० दि. 13.09.2021 द्वारा विधिवत् स्वीकृति हेतु अधिरोपित 08 शर्तों की अनुपालन आख्या प्रेषित की गयी थी जिसके प्रत्युत्तर में आपके कार्यालय पत्रांक संख्या 1723/12-1 गोपेश्वर दिनांक 30.09.2021 द्वारा कतिपय प्रपत्रों की स्पष्ट/पठनीय तथा मानचित्रों की रंगीन छायाप्रति पुनः प्रेषित करने हेतु कहा गया था। अतः पुनः सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित 08 शर्तों की अनुपालन आख्या बिन्दुवार प्रेषित की जा रही है:-

क्र.सं.	आपत्ति	निराकरण
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 2.030 हे० ग्राम- सलियाणा कुनेली लग्गा सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है, अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा। भूमि के हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत् स्वीकृति प्रदान की जायेगी।	शर्त संख्या 01 के अनुपालन में प्रस्तावित स्थल के क्षतिग्रस्त वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखाव हेतु रू. 5,14,264.00 मात्र वन विभाग के पक्ष में NEFT/RTGS Challan for Ad-HOC Campa, Application No. 6110147964 date 03.07.2018 द्वारा धनराशि जमा कर दी गयी है भुगतान चालान की प्रति संलग्न है। नोट:- शर्त संख्या 01 के अनुपालन में प्रस्तावित प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 2.030 हे० ग्राम सलियाणा कुनेली लग्गा सिविल सोयल भूमि चयनित की गयी थी, जिस पर जिलाधिकारी महोदय, चमोली गोचर भूमि किस्म की होने पर आपत्ति दर्ज की गयी। पुनः राजस्व विभाग द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण के एवज में ग्राम लालनगरी प 0वू० आदिबद्री तहसील आदिबद्री में 2.030 हे० सिविल भूमि चयनित की गयी जिसका की जिलाधिकारी, चमोली के पत्रांक 2651/26-11(2018-2019) गोपेश्वर दिनांक 06.02.2019 द्वारा वन विभाग के नाम आदेश पारित किये गये हैं।
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	शर्त संख्या 02 के अनुपालन में भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य एन०पी०वी० की धनराशि रू० 8,57,575.00 मात्र वन विभाग के पक्ष में NEFT/RTGS Challan for Ad-HOC Campa, Application no. Road 6110147964 date 03.07.2018 द्वारा एन.पी.वी. की शुद्ध वर्तमान धनराशि जमा की गई थी, (भुगतान चालान की प्रति संलग्न है)। पुनः प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण देहरादून के पत्रांक 425/FP/UK/ROAD/12713/2022 Dt- 17.08.2024 द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत हुए 05 वर्ष पूर्ण होने के उपरान्त एन०पी०वी० की अतिरिक्त धनराशि रू. 4,54,567.00 लाख वन विभाग के पक्ष में Campa Kosh में NEFT/RTGS Challan for Campa fund Application No. 6110147297 दि. 13.12.2024 द्वारा धनराशि जमा कर दी गई है। (संलग्न चालान की प्रति) (एन०पी०वी० की कुल जमा धनराशि रू. 8,57,575.00 + 454567.00 = 13,12,142.00)

3	शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोतरी होती है, तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बढ़ता प्रस्तुत की जाए।	शर्त संख्या 03 में शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोतरी होती है, तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि नियमानुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी, जिसका प्रमाण पत्र संलग्न है।
4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (CAMPA) के तदर्थ निकाय खाते में Online Portal के माध्यम द्वारा जो चालान Generate होता है उसी के माध्यम से किया जाना आवश्यक है, जिसकी सूचना इस कार्यालय को प्रेषित की जाए।	शर्त संख्या 04 के अनुपालन में सभी निधियां (CA cost, NPV etc.) को वेब पोर्टल पर Online Generate किये गये चालान के माध्यम से ऑनलाइन बैंक में जमा किया गया है, चालान की प्रति संलग्न है।
5	सड़क निर्माण के पश्चात् जहां-जहां संभव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में strip plantation की जाएगी, इस आशय की वचन बढ़ता प्रेषित करनी होगी।	शर्त संख्या 05 में सड़क निर्माण के पश्चात् दोनों किनारों पर इस खण्ड द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख रेख में strip plantation की जाएगी। वचन बढ़ता प्रमाण पत्र संलग्न है।
6	State Govt. will provide revised NPV calculation based on 0.5 density in Eco class V charging the NPV rate for dense	Revised NPV calculation has been updated in Praroop 50as per suggested. Please find attached.
7	State Govt. will review the employment likely to be generated in para-E online part-I.	Road construction provide an opportunity of earning daily wage to local labours, semi-skilled labours, skilled-labours as well as contractors and private suppliers. Post completion of construction, this road will help people connect to markets and other fundamental facilities at ease. This road way will also help people to supply their own produced vegetables, fruits, grains and homemade stuffs by vehicles at affordable time and cost. Hence the roadway construction may not only generate a temporary employment but also attract tourism and create various possibilities of earnings to the people of beneficiary villages.
8	State Govt. will provide original/attested hard copies of all	The original Hard copy of original/attested documents are attached.
कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण इन्दिरानगर, फॉरेस्ट कॉलोनी उत्तराखण्ड देहरादून का पत्रांक 3117/FP/UK/ROAD/10147/2015 दि० 30.06.2022 द्वारा लगायी गयी आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण		
बिन्दु सं. 09-	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित क्षेत्र का राजस्व अभिलेखों (खसरा खतौनी नं० अंकित करते हुये) के अनुसार मिलान कर मानचित्र/उपयुक्तता प्रमाण पत्र खसरा संख्या का उल्लेख करते हुए मूल प्रति में उपलब्ध कराये जाने हैं।	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु चयनित क्षेत्र का राजस्व अभिलेखों में खसरा नं०-69 एवं खतौनी नं०-03 में दर्शाया गया है, उपयुक्ता प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न है।
बिन्दु सं. 11-	उपरोक्त के अतिरिक्त इस आशय का प्रमाण पत्र भी उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित है कि प्रस्ताव में स्वीकृत समरेखण में ही वृक्षों का पातन एवं स्वीकृत समरेखण में ही मोटर मार्ग का निर्माण किया गया है।	प्रमाण पत्र संलग्न है।


<p>बिन्दु सं. 14-प्रमुख वन संरक्षक (HOFF) उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक 1269/P.O दिनांक 10.06.2022 द्वारा जारी पत्र उल्लेखित बिन्दु-01 कृपया सुनिश्चित करें कि ये क्षेत्र जब सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा वन विभाग के पक्ष में दाखिल खारिज किये जाते हैं। तो उस आदेश में यह स्पष्ट अंकित हो कि प्रश्नगत सिविल क्षेत्र का रकवा कितना है तथा उनमें से कितना क्षेत्र वन विभाग के पक्ष में दाखिल खारिज किया जा रहा है एवं यह क्षेत्र पूर्व में किसी अन्य योजना में अथवा वन संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत पूर्व में गठित प्रस्ताव में नहीं दिया गया है।</p>	<p>जिलाधिकारी चमोली के कार्यालय के पत्र संख्या 2651/छवीस-11 (2018-19) द्वारा कलियाणा बैण्ड से डिग्री कॉलेज फरकण्डे तक मोटर मार्ग के निर्माण से प्रभावित होने वाली 1.015 है० वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के एवज में ग्राम - लाल नगरी प० वृ० आदिबद्री तहसील-आदिबद्री की सीमान्तर्गत चिन्हित ख०खा०सं० 03 के खसरा नं० 69 रक्का 67.503 है० भूमि मध्ये 2.030 है० भूमि जो उ०ख०स० की नॉन-जेड श्रेणी-9(3)5 अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि के रूप में दर्ज है, जो वन विभाग के पक्ष में की गयी है, यह भूमि अन्य किसी संस्था/विभाग को नामान्तरण/हस्तान्तरण किये जाने की स्वीकृति शा०दे०सं० 2173/XVIII(ii)/2012-18(120) /2010 दि. 17.12.2012 के अनुसार जिलाधिकारी के कार्यालय पत्रांक संख्या 2651/छवीस-11 (2018-19) गोपेश्वर दिनांक 06.02.2019 के द्वारा प्रदान की गयी है। (छायाप्रति संलग्न)</p>
--	---


अतः उपरोक्तानुसार सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की बिन्दुवार अनुपालन आख्या एवं आपत्तियों का निराकरण कर हार्ड कॉपी एक प्रति में मय संलग्नक के साथ उच्च स्तर को प्रेषित करने हेतु प्रेषित है।

संलग्न- उपरोक्तानुसार कुल 26 पृष्ठ।

पत्रांक /1एल.ए.

प्रतिलिपि:- सहायक अभियन्ता-1 निर्माण खण्ड लो०नि०वि० गैरसैण को सूचनार्थ प्रेषित।


 (इ.जगदीश प्रसाद)
 अधिशासी अभियन्ता,
 निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
 गैरसैण, चमोली
 दिनांक / /2026


 अधिशासी अभियन्ता,
 निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
 गैरसैण, चमोली।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।

Office of Divisional Forest Officer Kedarnath Wildlife Division, Gopeshwar.

Phone @ Fax No- 01372252149

Email-dfokedarnath@gmail.com

पत्रांक:- 4806 /12-1 गोपेश्वर,

दिनांक 26/05/2026

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,
देहरादून।

विषय:- जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग के अन्तर्गत विकासखण्ड गैरसैण में कल्याणा ग्वाड़ बैण्ड से डिग्री कॉलेज फरकण्डे तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु विधिवत स्वीकृति प्रदान करने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :- आपके कार्यालय का पत्रांक 1398/12-1, दिनांक 11/01/2024 व पत्रांक 425/FP/UK/ROAD/12713/2022, दिनांक 17.08.2024 तथा इस कार्यालय का पत्रांक 5878/12-1, दिनांक 06.06.2022, पत्रांक 464/12-1, दिनांक 30.07.2024 एवं 2723/12-1, दिनांक 04.01.2025।

महोदय,

उपरोक्त विषयांकित मोटर मार्ग हेतु भारत सरकार से निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या जो इस कार्यालय के पत्रांक 5878/12-1, दिनांक 06.06.2022 द्वारा पूर्व में आपके कार्यालय को प्रेषित की गयी थी में आपके कार्यालय के उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 11.01.2024 द्वारा कतिपय आपत्तियां इंगित की गयी। आपके उक्त संदर्भित पत्र द्वारा निर्गत आपत्तियों का निराकरण कर निराकरण आख्या मय सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या जो इस कार्यालय के उपरोक्त संदर्भित पत्र दिनांक 30.07.2024 द्वारा पूर्व में आपके कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी थी। किन्तु आतिथि तक भी उक्त मोटर मार्ग में विधिवत् स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण आपके स्तर से प्रस्तावक विभाग को पुनः अनुपालन आख्या प्रेषित करने हेतु प्राप्त निर्देशों के क्रम में अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 गैरसैण के पत्रांक 565/1 एल0ए0, दिनांक 14.05.2026 की छायाप्रति सहित अनुपालन आख्या निम्नानुसार प्रेषित है:-

क0 सं0	सैद्धान्तिक स्वीकृति	अनुपालन आख्या
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 2.030 है0 ग्राम- सलियाणा कुनेली लग्गा सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है, अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा। भूमि के हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी।	शर्त संख्या 01 के अनुपालन में प्रस्तावित स्थल के क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखाव हेतु रू. 5,14,264.00 मात्र वन विभाग के पक्ष में NEFT/RTGS Challan for Ad-HOC Campa, Application no. Road 6110147964 date 03.07.2018 द्वारा धनराशि जमा कर दी गयी है। <u>संलग्नक :- 1 चालान की प्रति।</u> नोट:-शर्त संख्या 01 के अनुपालन में प्रस्तावित प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 2.030 है0 ग्राम सलियाणा कुनेली लग्गा सिविल सोयल भूमि चयनित की गयी थी, जिस पर जिलाधिकारी महोदय, चमोली द्वारा गोचर भूमि किस्म की होने पर आपत्ति दर्ज की गयी। पुनः राजस्व विभाग द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण के एवज में ग्राम लालनगरी प 0वृ0 आदिबद्री तहसील आदिबद्री में 2.030 है0 सिविल भूमि चयनित की गयी जिसका की जिलाधिकारी, चमोली के पत्रांक 2651/26-11(2018-2019) गोपेश्वर दिनांक 06.02.2019 द्वारा वन विभाग के नाम नामान्तरण/हस्तान्तरण आदेश पारित किया गया है। <u>संलग्नक :- 2 जिलाधिकारी चमोली के आदेश की प्रति।</u>
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित धनराशि जमा की जायेगी।	शर्त संख्या 02 के अनुपालन में भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य एन0पी0वी0 की धनराशि रू. 8,57,675.00 मात्र वन विभाग के पक्ष में NEFT/RTGS Challan for Ad-HOC Campa, Application no. Road 6110147964 date 03.07.2018 द्वारा धनराशि जमा कर दी गई थी। <u>बिन्दु संख्या 1 में चालान की प्रति संलग्न।</u> उक्त के अतिरिक्त आपके कार्यालय से दिनांक 17.08.2024 को प्राप्त निर्देशों के क्रम में एन0पी0वी0 की अतिरिक्त धनराशि रू. 4,54,567.00 लाख वन विभाग के पक्ष में Campa Kosh में


		NEFT/RTGS Challan for Campa fund Application No. 6110147297 दि. 13.12.2024 द्वारा धनराशि जमा कर दी गई है। चालान की प्रति पूर्व में इस कार्यालय के पत्रांक 2723/12-1, दिनांक 04.01.2025 द्वारा प्रेषित की गयी है। सुलभ संदर्भ हेतु चालान की प्रति पुनः संलग्न की जा रही है। संलग्नक-03- अतिरिक्त एन0पी0वी0 जमा करने का प्रमाण।
3	शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोतरी होती है, तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बद्धता प्रस्तुत की जाए।	शुद्ध वर्तमान मूल्य में अगर बढ़ोतरी होती है, तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा करने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सहमति दी गयी है, इस क्रम में अपेक्षित प्रमाण पत्र संलग्न है। संलग्नक 04:-प्रमाण पत्र की प्रति।
4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (CAMP) के तदर्थ निकाय खाते में Online Portal के माध्यम द्वारा जो चालान Generate होता है उसी के माध्यम से किया जाना आवश्यक है, जिसकी सूचना इस कार्यालय को प्रेषित की जाए।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सभी निधियां (CA cost, NPV etc.) वैब पोर्टल पर Online Generate किये गये चालान के माध्यम से ऑनलाइन बैंक में जमा किया गया है। बिन्दु संख्या 1 में चालान की प्रति संलग्न।
5	सड़क निर्माण के पश्चात् जहां-जहां संभव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में strip plantation की जाएगी, इस आशय की वचन बद्धता प्रेषित करनी होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सहमति दी गई है, इस क्रम में अपेक्षित प्रमाण पत्र संलग्न है। संलग्नक 05:- प्रमाण पत्र।
6	State Govt. will provide revised NPV calculation based on 0.5 density in Eco class V charging the NPV rate for dense forest.	उक्त निर्देशों के अनुपालन में संशोधित एन0पी0वी0 की गणना शीट संलग्न कर प्रेषित है। संलग्नक 06:- प्रारूप 50।
7	State Govt. will review the employment likely to be generated in para-E online part-I.	Road construction provides an opportunity of earning daily wage to local labours, semi skilled labours, skilled labours as well as contractors and private suppliers. Post completion of construction, this road will help people connect to markets and other fundamental facilities at ease. This road way will also help people to supply their own produced vegetables, fruits, grains and homemade stuffs by vehicles at affordable time and cost. Hence the roadway construction may not only generate a temporary employment but also attract tourism and create various possibilities of earings to the people of beneficiary villages.
8	State Govt. will provide original/attested hard copies of all documents.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपेक्षित प्रमाण पत्रों की छायाप्रति संलग्न है। संलग्नक 07 :- प्रमाण पत्र।
कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण इन्दिरानगर, फॉरेस्ट कॉलोनी उत्तराखण्ड देहरादून का पत्रांक 3117/FP/UK/ROAD/10147/2015 दि 30.06.2022 द्वारा लगायी गयी आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण		
क्र० सं०	दिनांक 30.06.2022 द्वारा इंगित आपत्ति	निराकरण आख्या
1.	शर्त सं० 02 के अनुपालन में भारत सरकार के पत्र सं०-5-3/2011-FC(Vol-I) दिनांक-06.01.2022 द्वारा एन0पी0वी0 की दरों का पुर्ननिर्धारण किया गया है एवं पत्र सं० 5-3/2011-FC(Vol-I) दिनांक-19.01.2022 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार ऐसे प्रस्तावों को चिन्हित किया गया है, जिनमें एन0पी0वी0 की नई दरों के अनुसार अतिरिक्त देय धनराशि जमा करायी जानी है। अपने स्तर से	भारत सरकार द्वारा दिनांक 06.01.2022 को एन0पी0वी0 हेतु निर्गत आदेश एवं आपके कार्यालय से दिनांक 17.08.2024 को प्राप्त निर्देशों के क्रम में एन0पी0वी0 की अतिरिक्त धनराशि रु. 4,54,567.00 लाख, प्रस्तावक विभाग द्वारा वन विभाग के पक्ष में Campa Kosh में NEFT/RTGS Challan for Campa fund Application No. 6110147297 दि. 13.12.2024 द्वारा धनराशि जमा कर दी गई है।

	प्रयोक्ता अभिकरण को निर्देशित करने का कष्ट करें।	चालान की प्रति बिन्दु संख्या 03 में संलग्न के रूप में संलग्न है।
2.	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित क्षेत्र का राजस्व अभिलेखों (खसरा/खतौनी सं० अंकित करते हुये) के अनुसार मिलान कर मानचित्र/उपयुक्तता प्रमाण पत्र खसरा सं० का उल्लेख करते हुये मूल प्रति में उपलब्ध कराये जाने है।	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित क्षेत्र लालनगरी रा०उ०नि० आदिबद्री का क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्तता प्रमाण पत्र तत्कालीन प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा मूल में पूर्व में प्रस्ताव के साथ प्रेषित किया जा चुका है। सुलभ संदर्भ हेतु उक्त प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक-08)
3.	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के नाम हस्तान्तरित भूमि को वन अधिनियम, 1927 के अन्तर्गत आरक्षित/संरक्षित घोषित किये जाने का प्रमाण पत्र भी इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के नाम हस्तान्तरित भूमि को वन अधिनियम, 1927 के अन्तर्गत आरक्षित/संरक्षित घोषित किये जाने का प्रमाण पत्र हेतु निदेशक/वन संरक्षक, नन्दादेवी बायोस्फियर रिजर्व को लिखा गया था। वर्तमान में उच्च स्तर से प्राप्त निर्देशों के क्रम में अधिसूचना का आलेख तैयार कर संलग्न कर अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित है। (संलग्नक-09)
4.	उपरोक्त के अतिरिक्त इस आशय का प्रमाण पत्र भी उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित है कि प्रस्ताव में स्वीकृत समरेखण में ही वृक्षों का पातन एवं स्वीकृत समरेखण में ही मोटर मार्ग का निर्माण किया गया है।	प्रस्तावक विभाग एवं वन क्षेत्राधिकारी लोहवा रेंज गैरसैण द्वारा इस सम्बन्ध में अपेक्षित प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्नक- 10 एवं 11)
5.	यदि प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रस्तावक विभाग को Working Permission दे दी गयी है, तो उसकी प्रति भी इस कार्यालय को उपलब्ध कराये।	प्रस्तावक विभाग को मोटर मार्ग निर्माण हेतु इस कार्यालय द्वारा किसी भी प्रकार की Working Permission जारी नहीं की गयी है।
6.	यदि प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित क्षेत्र आरक्षित वन है तो उसका अधिसूचना (Notification) भी अनुपालन आख्या के साथ संलग्न किया जाये।	प्रतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित क्षेत्र सिविल वन भूमि है, जिसका अमलदरामद राजस्व विभाग से वन विभाग के नाम किया जा चुका है। अमलदरामद की प्रति बिन्दु संख्या 01 में संलग्नक 02 के रूप में संलग्न प्रेषित है।
7.	प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक 1269/P.O, दिनांक 10.06.2022 द्वारा जारी पत्र उल्लेखित बिन्दु-01 कृपया सुनिश्चित करें कि ये क्षेत्र जब सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा वन विभाग के पक्ष में दाखिल खारिज किये जाते हैं तो उस आदेश में यह स्पष्ट इंगित हो कि प्रश्नगत सिविल क्षेत्र का रकवा कितना तथा उसमें से कितना क्षेत्र वन विभाग के पक्ष में दाखिल खारिज किया जा रहा है एवं यह क्षेत्र पूर्व में किसी अन्य योजना में अथवा वन संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत पूर्व में गठित प्रस्ताव में नहीं दिया गया है।	जिलाधिकारी, चमोली द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित क्षेत्र लालनगरी रा०उ०नि० आदिबद्री का वन विभाग के नाम अमलदरामद आदेश में यह स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि प्रश्नगत सिविल क्षेत्र का रकवा कितना तथा उनमें से कितना क्षेत्र वन विभाग के पक्ष में दाखिल खारिज किया जा रहा है।

अतः उपरोक्त आख्या इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि प्रकरण में विधिवत् स्वीकृति प्राप्त करने हेतु अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,


(सर्वेश कुमार)

प्रभागीय वनाधिकारी,
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग,
गोपेश्वर।

संख्या / दिनांकित

प्रतिलिपि:- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड लो०नि०वि०, गैरसैण को उनके कार्यालय के उपरोक्त उल्लेखित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(सर्वेश कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी,
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग,
गोपेश्वर।

AGENCY COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 15-11-2017

Agency Name.	PWD CD GAIRSAIN
Application No.	6110147964
Location.	UTTARANCHAL
Address.	Construction Division PWD Gairsain Chamoli
Amount(in Rs)	1371939/-

Amount in Words :Thirteen Lakh Seventy-One Thousand Nine
Hundred and Thirty-Nine Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following
details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	CORP0006633
Pay to Account No.	150296110147964
Bank Name & Address:	Corporation Bank FCS Bangalore, Note: The proceeds of the payment will be credited to the respective CAMPA State Account.

- This Challan is strictly to be used for making
payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

After making successful payment, User Agencies may
Email: helpdeskcompa@corpbank.co.in

Print

निर्माण कार्य के डिप्टी सहायक प्रमुख

छाया प्रति प्रमाणित

सहायक अभियंता
निर्माण कार्य, स.प.वि.
भरतपुर (कामोली)

अत्यावधि सत्यापित


Assistant Engineer
Construction Division
P.W.D Gairsain


श्री ५-६१


परियोजना का नाम— जनपद चमोली के विकासखण्ड गैरसैण में कलियाणा ग्वाड बैंड से डिग्री कालेज फरकण्डे मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.015 हे० वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण प्रस्ताव। लम्बाई 2.00 कि०मी०।

एन०पी०वी० की बढ़ी दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण—पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यदि भविष्य में मा० उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार द्वारा एन०पी०वी० की वर्तमान दरों में कोई बढ़ोतरी की जाती है तो एन०पी०वी० की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान वन विभाग को यथासमय कर दिया जायेगा।


कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
गैरसैण, चमोली।


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
गैरसैण, चमोली।


अधिसासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
गैरसैण, चमोली।

अथवा प्रति सत्यापित


Assistant Engineer
Construction Division
P.W.D. Garisain

03

“Central Verge का प्रमाण – पत्र”

प्रमाणित किया जाता है कि सडक निर्माण के पश्चात जहां – जहां संभव हो सडक के दोनों किनारों पर प्रयोक्ता अभिकरण अपने व्यय पर वन विभाग की देख – रेख में strip plantation किया जायेगा।



कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
गैरसैण



सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
गैरसैण



अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
गैरसैण

सहायक अभियन्ता



Assistant Engineer
Construction Division
P.W.D. Gairsain


प्रारूप-50


परियोजना का नाम- जनपद चमोली के विकासखण्ड गैरसैण में कलियाणा ग्राड बेंड से डिग्री कालेज फरकण्डे मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.015 हे० वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण प्रस्ताव। लम्बाई 2.00 कि०मी०।


एन०पी०वी० की धनराशि का आंकलन

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के आदेश संख्या 5-3/2007-एफ०सी० दिनांक 05-02-2009 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार आवेदित वन भूमि हेतु एन०पी०वी० की देयता निम्नानुसार है :-

1. ईको-क्लास श्रेणी..... I
2. हरियाली का घनत्व..... 0.506
3. एन०पी०वी० की दर प्रति हे०..... 9,39,000.00
4. आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल..... 1.015
5. कुल देय एन०पी०वी० की धनराशि..... 9,53,085.00


R.O.


उप प्रभागीय यन्त्राधिकारी
गौधर उप वन प्रभाग
गोयेश्वर


उप वन सहायक
प्रभागीय यन्त्राधिकारी
गोयेश्वर

अयापति सत्यापित


Assistant Engineer
Construction Division
P.W.D. Garwal

पत्रक - 30
Government Of Uttarakhand
Office Of the District Collector : Chamoli

No.....

Dated.....

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry Of Environment and forest (MOEF), Government of India's letter No - 11-9/98-EC(pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MOEF issued guideline on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of right under the scheduled tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights, Act 2006 (FRA, for Short) on the forest land proposed to be diverted for non- forest purposes read with MOEF's letter dated 5th February 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear projects. It is certified that 1.530 Hect of forest land proposed to be diverted in favor of P W D Uttarakhand (Name of user agency) for Construction of Kaliyana Gwad band to Digree collage Farkanday Motor Road 2.00 Km Under P W D Gairsain (purpose for diversion of forest land) in Chamoli District falls within jurisdiction of Gairsain Tehsils .

It is further certified that :

SN		Remark
(A)	The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 1.530 Hect of civil area proposed for diversion .A copy of records of all consultations and meetings of the forest Right Committees ,Gram Sabha(s) sub-Division Level committee(s) and District level Committee are enclosed as annexure 1 to - annexure.	not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.
(B)	The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of FRA have been completed and the Gram sabhas have given their consent to it.	Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers . there is no objection certificate of concerned villages regarding construction of aforesaid motor road is affixed in the forest file .
(C)	The proposed does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and pre- agricultural communities .	not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.

मयापति सत्यापित
Assistant Engineer
Construction Division
P.W.D Gairsain

Signature
(S.A. Murgeson, District Magistrate Chamoli)

प्रारूप-30

(वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत समस्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर सूचना/अभिलेख संलग्न किये जाने हैं।)

FORM-1
(for linear projects)
Government of Uttarakhand Office of the District Collector Chamoli

No----

Dated-----

TO WHOSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 1.015 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of P.W.D (name of user agency) for **Construction Of Kalyana Gwad Band to Degree College Farkhanda M/R** (purpose for diversion of forest land) in **Chamoli** district falls within jurisdiction of **Farkande** villages in **Gairsain** tehsil. It is further certified that:

- the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 1.015 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed.
- the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- the proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl: As above.


Signature

(Full name and official seal of the District Collector)

अयमिति सत्यापित

Assistant Engineer
Construction Division
P.W.D Gairsain

FORM-II
(for projects other than linear projects)
Government of Uttarakhand Office of the District Collector Chamoli

No--- --

Dated-----

To WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that 3.22 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of **PWD Gairsain** (name of user agency) for **Construction Of Kalyana Gwad Band to Degree College Furkhanda M/R** (purpose for diversion of forest land) in **Chamoli** district falls within jurisdiction of **Furkhanda, Degree College Gairsain, Rikholi, Nail, Kumoli** villages in **Gairsain** tehsil. It is further certified that:

- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 1.015 hectares of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed.
- (b) the proposal for such diversion (with full details of project and its implications, in vernacular/ local language) have been placed before each concerned Grama Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA;
- (c) the each of concerned Gram Sabha (s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. a copy of certificate issued by the gram sabha of **Furkhanda, Rikholi, Nail, Kumoli** villages are enclosed.
- (d) the discussion and decisions on such proposals had taken place only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present;
- (e) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- (f) the rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1)(e) of the FRA

Encl: As above.



Signature
(Full name and official seal of the District Collector)

अय्यपति सत्यापित


Assistant Engineer
Construction Division
P.W.D Gairsain

प्रारूप-30.1

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
DISTRICT CHAMOLI (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Chamoli district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr/Mrs/Miss, *Asst. Commr. U.K.* deputy commissioner, *...* on dated *7/3/15* at time *...* in which application claiming rights in Gairsain area measuring 1.015 hect for the construction of Kalyana Gwad Band to Degree College Furkhande, M/R forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Furkhande, Rikholi, Nail Kumoli, sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place: *Gairsain*

Dated: *7/3/15*

[Signature]
Deputy Commissioner-cum-Chairman
District Level Committe

अरासति सत्यमिति

[Signature]
Assistant Engineer
Construction Division
P.W.D Gairsain

प्रारूप-30.2

परियोजना का नाम- जनपद चमोली के विकासखण्ड गैरसैण में कलियाणा ग्वाड बैंड से डिग्री कालेज फरकण्डे मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.015 हे० वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण। लम्बाई 2.00 कि०मी०।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, गैरसैण
 अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र
 उपखण्ड स्तरीय समिति, गैरसैण

उपखण्ड गैरसैण परिक्षेत्र के अन्तर्गत गाम पंचायत फरकण्डे
1.015 हे० आरक्षित वन भूमि, 1.015 हे० सिविल एवं सोयम वन भूमि 1.015 हे० वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल 1.015 हे० वन
 भूमि का लो०नि०वि० प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य
 परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील गैरसैण)
 के दिनांक 26/2/15 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006
 के तहत नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री मिशन सिस्टिमी, उप जिलाधिकारी एवं
 उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति
 अनुसूचित है।

- 1- श्री विशाल सिंह नेगी उपजिलाधिकारी गैरसैण अध्यक्ष
- 2- श्री पताप जे. सुन्दर प्रभागीय वनाधिकारी वन अधिकारी सदस्य
- 3- श्री सुरेश कुमार सहायक समाज कल्याण अधिकारी गैरसैण सदस्य/साचिव
- 4- श्री बि०डी०सी० क्षेत्र सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति
 से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि
कलियाणा ग्वाड से डिग्री कालेज फरकण्डे

परियोजना हेतु 1.015 हे० वन भूमि प्रयोक्ता

एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार
 का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक
 उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, केदारनाथ द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन
 निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से
 माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं
 किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन
 अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड गैरसैण परिक्षेत्र के अन्तर्गत कलियाणा ग्वाड
से डिग्री कालेज फरकण्डे परियोजना के निर्माण हेतु 1.015 हे० वन भूमि लो०नि०वि० प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में रक्षक
 अधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
 उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
 तहसील- गैरसैण
 जनपद- चमोली

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, चमोली का सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

3/2/15
 Assistant Engineer
 Construction Division
 P.W.D. Gairsain

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
 उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
 तहसील- गैरसैण
 जनपद- चमोली

प्रपत्र-23

परियोजना का नाम:- कैलियाला गैरसैण रोड से डिजी कालेज तक
को हस्तान्तरण। नैल-जीमडी-सेरा मोटर मार्ग के निर्माण में प्रभावित होने वाली वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग

ग्राम पंचायत का नाम:- कैलियाला
तहसील गैरसैण, जनपद-चमोली।


अनापत्ति प्रमाण पत्र


जनपद चमोली उत्तराखण्ड में नैल-जागडी रोड मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु आरक्षित वन भूमि
आरक्षित वन भूमि- १.९१५ है० सिविल वन भूमि- १.९१५ है० कुल ३.८३० है० का ग्राम्य विकास विभाग/संख्या के पक्ष में
भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत-कैलियाला द्वारा दिनांक-२५/११/१३ को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम
पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु
विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम २००६ के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी
अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/ कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया
कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके
अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा
है।

चर्चा के उपरान्त ग्रामसभा द्वारा सर्वसम्पत्ति से निर्णय लिया गया/ प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम-कैलियाला के
ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि ३.८३० है० प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति
नहीं है।

ह०
ग्राम सचिव


कैलियाला
गैरसैण (चमोली)
दिनांक २० १५ फरवरी २०१३



नोट:- यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है तो तदनुसार उसका विवरण उक्त
प्रपत्र में दिया जाय। उक्त प्रपत्र प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ सलग्न किया जाना है।

अशोक सरावगी

Assistant Engineer
Construction Division
P.W.D. Garo

अनुमति प्रमाण पत्र

जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र कर्णप्रयामा में प्रस्तावित मोटर मार्ग गैरसींग से कलियाणा खार
बैण्ड से डिग्री कॉलेज फरकाण्डे 2.700 किमी मोटर मार्ग का निर्माण के निर्माण हेतु इस वन
पंचायत के स्वामित्व की 1.2315 हे० वन पंचायत भूमि मोटर मार्ग निर्माण हेतु प्रस्तावित की गई है
को मार्ग निर्माण प्रयोजन के लिए वन हेतु सहर्ष सहमति प्रदान करती है। अतः इस सम्बन्ध में वन
पंचायत जनहित में भासना / विभागीय निर्देशों / शर्तों के अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु वचनबद्ध है

हस्ताक्षर,

[Handwritten Signature]
ह० शरपंच-

वन पंचायत--

जयश्री सचिव

[Handwritten Signature]

Assistant Engineer
Construction Division
P.W.D Gairsain

समझौता ज्ञापन

गृह समझौता ज्ञापन एक पक्षकार के रूप में अधिशारी अभियन्ता, निर्माण खण्ड लो०नि०वि० गैरसँण (कार्यदायी संस्था)

दूसरे पक्षकार के रूप में समस्त नाप भूमिधर जिनकी भूमि नैल-जामडी-सेरा-मोटर मार्ग के निर्माण हेतु उपयोग में लायी जानी है।

के बीच

आज वर्ष 2015 के अक्टूबर महीने की 27 तारीख को निष्पादित किया गया है।

- 1- यह सहमति हो गयी है कि कार्यदायी संस्था मार्ग निर्माण का समस्त कार्य निष्पादित करेगी।
- 2- यह सहमति हो गई है कि अपनी वह भूमिधर जिनकी भूमि मार्ग निर्माण/ मक डिस्पोजल हेतु जायी जानी है। उनको वर्तमान सवीकृत सर्किल दरों पर प्रतिकर के रूप में भुगतान किया जायेगा तथा भूमि का हस्तान्तरण ग्राम्य विकास विभाग के नाम किया जायेगा।
- 3- यदि कोई विवाद होता है तो उसका निवारण तहसील स्तर से किया जायेगा जिसका निर्णय दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होगा।

इसके साक्ष्य स्वरूप पक्षकारों ने अपने प्राधिकृत प्रतिनिधियों के माध्यम से इस विलेख पर ऊपर सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख, माह वर्ष के हस्ताक्षर किये और अपनी मोहर लगाई है।

कार्यदायी संस्था की ओर से हस्ताक्षर	नाम भूमिधर	पिता का नाम	हस्ताक्षर
नाम- इ० के०सी०आर्या पदनाम- अधिशारी अभियन्ता निर्माण खण्ड लो०नि०वि० गैरसँण	1- अक्षय सिंह	श्री राम सिंह	[Signature]
	2- राजेश्वर सिंह	श्री राम सिंह	[Signature]
	3- भूपति सिंह	श्री राम सिंह	[Signature]
	4- प्रेमचंद सिंह	श्री राम सिंह	[Signature]
	5- सुबोध सिंह	श्री राम सिंह	[Signature]
	6- सुबोध सिंह	श्री राम सिंह	[Signature]
	7- सुबोध सिंह	श्री राम सिंह	[Signature]
	8- सुबोध सिंह	श्री राम सिंह	[Signature]
	9- सुबोध सिंह	श्री राम सिंह	[Signature]
	10- सुबोध सिंह	श्री राम सिंह	[Signature]

सदस्य विद्युत् पंचायत
 बार्ड नं० 15 फरकण्डे
 वि०खण्ड गैरसँण (समोली)


समस्त संस्था
 Assistant Engineer
 Construction Division
 P.W.D Galisain

105/121
14/2/09

- आदेश -

जनपद चमोली के विकास खण्ड गैरसैण में कलियाणा ग्वाड़ बैण्ड से डिग्री कालेज फरकण्डे तक मोटर मार्ग के निर्माण से प्रभावित होने वाली 1.015 है० वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिए चिन्हित 2.030 है० सिविल सोयम भूमि का वन विभाग के पक्ष में नामान्तरण/हस्तान्तरण किये जाने हेतु भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा सौद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है।

अतएव अपर प्रमुख मुख्य वन संरक्षक, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के पत्र सं०-08बी/यू०सी०पी०/06/204/2016/एफ०सी०/1013 दिनांक 15.9.2017 की शर्त सं०-1 के अनुसार उप जिलाधिकारी गैरसैण की सत्यापन आख्या के आधार पर प्रस्तावित जनपद चमोली के विकास खण्ड गैरसैण में कलियाणा ग्वाड़ बैण्ड से डिग्री कालेज फरकण्डे तक मोटर मार्ग के निर्माण से प्रभावित होने वाली 1.015 है० वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण के एवज् में ग्राम लालनगरी प०वृ० आदिबद्री तहसील आदिबद्री की सीमान्तर्गत चिन्हित ख०खा०सं०-03 के खसरा सं०-69 रकवा 67.503 है० भूमि मध्ये 2.030 है० भूमि, जो कि उत्तराखण्ड सरकार की नॉनजेडए श्रेणी-9(3)ड. अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि के रूप में दर्ज हैं, को वन विभाग के पक्ष नामान्तरण/हस्तान्तरण किये जाने की स्वीकृति शासनादेश सं०-2173/XVIII(II)/2012-18 (120)/2010 दिनांक 17, दिसम्बर 2012 के अनुसार प्रदान की जाती है।


(स्वाति एस० भदौरिया),
जिलाधिकारी,
चमोली।

कार्यालय जिलाधिकारी चमोली।

संख्या: 2651/छब्बीस-11 (2018-2019) गोपेश्वर: दिनांक: 06 फरवरी, 2019


प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख, वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. सचिव, राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
3. अपर सचिव, वन एवं पर्यावरण अनुभाग-4 उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
4. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
6. उप जिलाधिकारी/तहसीलदार, गैरसैण/आदिबद्री।
7. प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।
8. भू-लेख अधिकारी, जिला कार्यालय चमोली।
9. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, गैरसैण।

YEAR: 2018-19
DEPARTMENT: FOREST
PROJECT: 3014
06-02-19

गयापति सत्यापित


Assistant Engineer
Construction Division
P.W.D. Garisain



जिलाधिकारी,
चमोली।

7/2/19
वन शासन
14/2/19
37630
14/2/19

क्षतिपूरक वृक्षारोपण उपयुक्तता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली के अन्तर्गत प्रस्तावित कलियाणा ग्वाड बैण्ड रो डिग्री कालेज फरकण्डे मोटर मार्ग निर्माण हेतु प्रभावित 1.015 है० वन भूमि के सापेक्ष ग्राम लालनगरी रा०उ०नि० आदिवद्री के अन्तर्गत खसरा नं० 69 में 2.030 है० चयनित सिविल भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है।


वन क्षेत्राधिकारी
धनपुर वन क्षेत्र गौचर


(अमित कंवर)
प्रभागीय वनाधिकारी,
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।

उपयुक्तता प्रमाणित

Assistant Engineer
Construction Division
P.W.D. Gairsain

42A. ग्राम - जाल-गरी, बालर उप निरीक्षण- आदिबंदी, नहसील - आदिबंदी, उपपद - रंगोली
 - हाल बन्दो बन्दो

1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
5	वर्ष		0.039 0.038 0.126 x x x x x x x x x 67 69 71 x x x x x x 155 180 184	0.039 0.038 0.126 x x x x x x x x x 0.054 0.053 0.153 x x x x x x x x x 0.023 0.010 0.091	

मु० आदेशा श्रीमान जिलाधिकारी अदालत जमाली के आदेशा सरकार : 2651/हसील-11 (2012-19) जोपेडवर : दिनांक 06 फरवरी 2015 के क्रम में आदेशा सं० 273/XV/11(11)/2012-18 (120)/2010 दिनांक 17 दिसम्बर 2012 के अनुसार उपपद जमाली के विकासखण्ड गैरसेवा में कलियाणा जगड वेड से डिग्री कालज फरकडे तक मात्र मार्ग के निर्माण से प्रभावित होने वाली 1.015 हे० तक भूमि के सापेक्ष जमीनपत्रक द्वारा जगड वेड से डिग्री कालज 2.030 हे० जमालत कोयम भूमि का वन विकासखण्ड के पुराने में जमालत-वेड/हसील-नहसील के अंतर्गत हेतु भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा सौदागत स्विकार प्रदान की जाई है।

इस प्रकार उपपद प्रमुख मुख्य वन संरक्षण पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा कामालय, देहरादून के पत्र सं०-08/बी।यू. सी.पी.ए/06/204/2016/रकम सी०/1013 दिनांक 15.09.2017 की शर्त सं०-1 के अनुसार उप जिलाधिकारी गैरसेवा की स्वीकार्यता आख्या के आधार पर प्रस्तावित उपपद जमाली के विकासखण्ड गैरसेवा से कलियाणा जगड वेड से डिग्री कालज फरकडे तक मात्र मार्ग के निर्माण से प्रभावित होने वाली 1.015 हे० तक भूमि के सापेक्ष जमीनपत्रक द्वारा जगड वेड से डिग्री कालज वन संरक्षण पर्यावरण वन संरक्षण मंत्रालय द्वारा सौदागत स्विकार प्रदान किया जाई है।

उपपद जमाली के विकासखण्ड गैरसेवा के अंतर्गत जमाली नहसील आदिबंदी की शीर्षक में जमीनपत्रक सं० 273/XV/11(11)/2012-18 (120)/2010 दिनांक 17 दिसम्बर 2012 के अनुसार प्रदान की जाती है।


राजस्थान उप निरीक्षण- आदिबंदी
 क्षेत्र : जाल-गरी
 2012/19/16
 Assistant Engineer
 Construction Division
 P.W.D Galraisar

जियो रेफरेंस मैप :- जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग तथा विकासखण्ड गैरसैण में कलियाणा ग्वाड बैंड से डिग्री कालेज फरकण्डे मोटर मार्ग के निर्माण हेतु प्रस्तावित क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल ग्राम- लाल नगरी प0वृ0 आदिबदरी सिविल (क्षे0 2.030 है0)



0 0.025 0.05 0.1
KM

Scale- 1:2,000



ID	LONGITUDE	LATITUDE
1	79° 13' 10.553" E	30° 9' 1.328" N
2	79° 13' 12.359" E	30° 9' 2.649" N
3	79° 13' 14.251" E	30° 9' 2.417" N
4	79° 13' 15.002" E	30° 9' 2.140" N
5	79° 13' 16.253" E	30° 9' 2.269" N
6	79° 13' 16.899" E	30° 9' 2.158" N
7	79° 13' 16.856" E	30° 9' 1.469" N
8	79° 13' 17.968" E	30° 9' 0.420" N
9	79° 13' 18.121" E	30° 8' 59.546" N
10	79° 13' 17.938" E	30° 8' 59.228" N
11	79° 13' 18.944" E	30° 8' 58.203" N
12	79° 13' 19.278" E	30° 8' 55.886" N
13	79° 13' 17.210" E	30° 8' 57.967" N
14	79° 13' 16.711" E	30° 8' 57.831" N
15	79° 13' 15.672" E	30° 8' 58.607" N
16	79° 13' 15.103" E	30° 8' 58.089" N
17	79° 13' 12.796" E	30° 8' 59.806" N

Legend

- GPS Points
- Proposed CA Land



Assistant Engineer
Construction Division
कर्मचारी
प्रमाणित
कर्मचारी


Assistant Engineer
Construction Division
प्रमाणित कर्मचारी
कर्मचारी
P.W.D. Gairsain

डिजिटल मैप - जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग तथा विकासखण्ड गैरसैण में कलियाणा ग्वाड बैंड से डिग्री कालेज फरकण्डे मोटर मार्ग के निर्माण हेतु प्रस्तावित क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल ग्राम- लाल नगरी प0व0 आदिबदरी सिविल (क्षे0 2.030 है0)

0 0.5 1 1.5 2 Km

Scale- 1:50,000

SOI Toposheet No. 53N/04



Legend

- Proposed CA Land
- Reserve Forest Area
- Reserve Forest Boundary
- Forest Range Boundary
- Forest Division Boundary

Assistant Engineer
Construction Division
P.W.D. Gairsain

(Signature)
वन क्षेत्राधिकारी
धनपुर वन क्षेत्र गौचर

(Signature)
वन क्षेत्राधिकारी
धनपुर वन क्षेत्र गौचर

(Signature)
प्रभागीय वनाधिकारी
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग
गोपेश्वर।

Assistant Engineer
Construction Division
P.W.D. Gairsain

Main Attachment 1.3


79°12'30"E

79°15'0"E

79°17'30"E

79°21'0"E

डिजिटल सैप - जावड़ घमेली के विधान सभा क्षेत्र कार्यप्रयोग के विकासखण्ड
गैरसैण में कलयाना गवाड बैण्ड से डिग्री कॉलेज फोरखण्डे तक मोटर पार्म का निर्माण (ल0-2.00 कि०मी०)



अश्विनी शर्मा

Assistant Engineer
Construction Division
P.W.D. Gaisain

जलाधिकारी
घमेली

प्रणवीय बना
धर लय बन

R.D.

	Proposed Road
	Range Boundary
	Kedarnath Wildlife Division
	Kedarnath Wildlife Division Boundary
	Reserve Forest Area
	Reserve Forest Boundary

79°15'0"E

79°17'30"E

79°21'0"E

Scale 1:50,000

Handwritten signatures and stamps are present on the right side of the map.

MUCK DISPOSAL PLAN
 NAME OF PROJECT: KALIYANA GWAD BAND TO DEGREEE COLLEGE FURKHANDE MOTOR ROAD
 Length: 2.00 K.M.

Sl No	Item of Work	No	Road Length in	Length per km	Width	Height	Quantity	Unit	
MUCK THAT EXPECTED TO GENERATE FROM									
	From hill side cutting Taking average Width of road (6.85+5.95)/2 = 6.40 m Assuming 3 m high and width 6.40/2 i.e. 3.20 m	1.00							
i)	From Construction of scupper (Dimensions as per standard drawing & Nos scupper per km)	1.00	2.00	1000	3.20	3.00	9600.00	CUM	
ii)	Add swelling Factor 40 %					2.50	120.00	CUM	
							9720.00		
							13608.00	CUM	
TOTAL MUCK RECEIVED								13608.00	CUM
MUCK THAT PROPOSED TO CONSUME IN									
Earth and boulder filling to super elevation. Total nos of curves in 1km = 12 Nos									
1	Construction of curb walling	1.00	12.00	2.00	20.00	7.00	0.350	1176.000	CUM
2	Construction of B.M	1.00	1.00	2.00	40.00	0.60	0.550	26.400	CUM
3	Construction of R.Wall	1.00	1.00	2.00	50.00	0.75	1.800	135.000	CUM
4	Construction of why create at places	1.00	1.00	2.00	50.00	1.10	2.5	275.000	CUM
5	Hand Packed stone filling	1.00	80.00	2.00	3.00	1.50	1.50	1080.000	CUM
6	Making of Edge stone	1.00	1/2	2.00	50.00	1.00	1.50	75.000	CUM
7	Construction of parapet	1.00	250.00	2.00	0.70	0.20	0.10	7.000	CUM
8	Construction of Pucca Jc drain	1.00	100.00	2.00	2.00	0.60	0.45	108.000	CUM
9	Construction of Scupper	1.00	1.00	2.00	40.00	0.60	0.10	4.800	CUM
10	Construction of Causeway	1.00	4.00	2	2.00	7.25	1.00	232.00	CUM
11	Soaling coat/boulder filling in Soft/slushy Reaches.	1.00	3.00	2.00	10.00	7.00	0.50	210.000	CUM
12	GSB layer. G1, G2 & G3	1.00	1.00	2.00	50.00	6.00	0.50	300.000	CUM
13		1.00	1.00	2.00	1080.00	6.00	0.30	3600.000	CUM
TOTAL MUCK CONSUMED								7229.200	CUM

Sl No	Qty of Muck Generated (CUM)	Muck used in construction work (CUM)	Muck disposed on Dumping yards as per attached. (CUM)	Balance Muck (CUM)
1	13608.00	7229.200	6378.8	NIL

Sl No	Location	Name of Land Owner	Type of Land	Size of Dumping Yard			GPS POINT		Capacity of Dumping
				1	2	3	1	2	
1	Km 1	Mohand Ismail S/O Late Allahdiya	Nap Land	Nap Land	1	112.50	8.00	1.50	6573.04c um
2	Km 1	Mohand Ismail S/O Late Allahdiya	Nap Land	Nap Land	1	105.22	11.50	1.50	
3	Km 2	Mahand S/O Bachram	Nap Land	Nap Land	1	142.00	16.00	1.50	
				Total			4.50		

[Signature]
 J.E.
 C.D. PWD
 GAIRSAIN

[Signature]
 C.D. PWD
 GAIRSAIN



[Signature]
 A.E.
 C.D. PWD
 GAIRSAIN

[Signature]
 E.E.
 C.D. PWD
 GAIRSAIN

असतो मा सद्गमय
Assistant Engineer
Construction Division
P.W.D Gairsain

TYPICAL X-SEC OF ROAD

NOT TO SCALE



अथर्वसि सत्यविति

Assistant Engineer
 Construction Division
 P.W.D. Gairsain

LEGENDS	
MUCK - GENERATION	
MUCK - USE	

J.E

A.E

E.E

भारत सरकार
पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
राष्ट्रीय कार्यालय (उत्तर-मध्य क्षेत्र)
25 सुभाष रोड, देहरादून-248001
दूरभाष: 0135-2650809
फैक्स-0135-2653010
ईमेल - moef.ddn@gov.in



GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST &
CLIMATE CHANGE
REGIONAL OFFICE (NORTH CENTRAL ZONE)
25 SUBHASH ROAD, DEHRADUN-248001
PHONE- 0135-2650809
FAX- 0135-2653010
Email- moef.ddn@gov.in

पत्र सं 08बी/यूसी0पी0/06/204/2016/एफ0सी0 | 1013

दिनांक: 15/09/2017

सेवा में,

राजिव (वन),
उत्तराखण्ड शासन,
सुभाष रोड, देहरादून।

विषय : जनपद - चमोली के विकासखण्ड गैरसैण में कलियाणा ग्वाड बैंड से डिग्री कालेज फरकण्डे तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1015 हे० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ: अपर राजिव, उत्तराखण्ड शासन की पत्र संख्या- 927/X-4-16/1(296)/2016 दिनांक 16.08.2016

महोदय,


उपरोक्त विषय पर Online Proposal No FP/UK/ROAD/10147/2015 एवं अपर राजिव, उत्तराखण्ड शासन के सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-2 के तहत स्वीकृति मांगी थी।

इस विषय में मुझे यह सूचित करना है कि प्रश्नगत प्रकरण पर समय-समय पर राज्य सरकार से आवश्यक जानकारीयां/दस्तावेज online मांगवाए जाते रहे हैं, जिनके प्राप्त होने एवं प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरान्त केन्द्र सरकार जनपद- चमोली के विकासखण्ड गैरसैण में कलियाणा ग्वाड बैंड से डिग्री कालेज फरकण्डे तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1015 हे० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने की सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है:-

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 2030 हे० ग्राम- सलियाणा कुनेली लम्गा सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा। भूमि के हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी।
2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।
3. शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोतरी होती है, तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बद्धता प्रस्तुत की जाए।
4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (CAMP) के तदर्थ निकाले जाते में Online Portal के माध्यम द्वारा जो चालान Generate होता है उसी के माध्यम से किया जाना आवश्यक है, जिसकी रचना इस कार्यालय का प्रापक की जाए।
5. सड़क निर्माण के पश्चात् जहां-जहां समंय हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में strip plantation की जाएगी। इस आशय की वचन बद्धता प्रेषित करनी होगी।
6. State Govt. will provide revised NPV calculation based on 0.5 density in Eco class V charging the NPV rate for dense forest.
7. State Govt. will review the employment likely to be generated in para-E online Part-I.
8. State Govt. will provide original/attested hard copies of all documents.

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि कलियाणा-ग्वाड बैण्ड से डिग्री कॉलेज फरकण्डे तक मोटर मार्ग निर्माण से पूर्व स्वीकृत समरेखण में ही वृक्षों का पातन कर मोटर मार्ग का निर्माण किया गया है।


अधिसासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
गैरसैण, चमोली।

